

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक B/237/2..... / वार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 27/04/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश(समरत).....मध्यप्रदेश,
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय(समरत).....मध्यप्रदेश,
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्डौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
4. कोषालय अधिकारी(समरत).....मध्यप्रदेश,
5. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (आई.टी.) (एस.ए) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कराने
हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी, कार्य विभाग, भोपाल,
का पत्र फाँक्रमांक 1001/21-ब (एक) / 2022 भोपाल,
दिनांक 12.04.2022 संलग्नक सहित।

*J. M. P. U.
25.4.2022*
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम.)
⑩



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग जबलपुर

फारमांक 1001 / 21-व(एक) / 2022

भोपाल, दिनांक 12.04.2022

प्रति,

जनरिक्तरार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2022 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत के भुगतान बाबत।

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-॥(बी), दिनांक 07.04.2022 के द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनभान) में महगाई भत्ता दिनांक 01.01.2022 से 196 से बढ़ाकर 203 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय महगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महगाई भत्ता/राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.01.2022 से पेंशन पर राहत 196 प्रतिशत से बढ़ाकर 203 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

- (1) पुनरीक्षित दरों से महगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-॥(बी), दिनांक 01.11.2021 एवं उसके अनुक्रम में जारी समसंरच्यक आदेश दिनांक 07.04.2022 में बताई गई रीति से होगा।
- (2) इस आदेश के तहत देय महगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.01.2022 से नगद किया जावेगा।
- (3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वर्सूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

B.K. Chaturvedi
(बी.के.चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव 14/4/22

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठा.क्रमांक 1001 / 21-ब(एक) / 2022

भोपाल, दिनांक 12.04.2022

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर / ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैंग राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैंग पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समर्त जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल,
27. समर्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त सघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन-452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मालगंज चौराहा, इंदौर, मध्यप्रदेश,
32. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
33. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्प्लैक्स गॉतम नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्प्लैक्स एम.पी नगर भोपाल
35. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

No. 1/3(1)/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 7th April, 2022.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revised rates of Dearness Allowance to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised Pay Scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission from 01.01.2022

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/3(1)/2008-E.II(B) dated 1st November, 2021 on the subject mentioned above and to say that the rate of Dearness Allowance in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies who are continuing to draw their pay in the pre-revised Pay Scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission, shall be enhanced from the existing rate of 196% to 203% of Basic Pay w.e.f. 01.01.2022

2. The provisions contained in Paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M No.1(3)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.
3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(Signature)
(Nirmala Dev)
Director

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).

(CIP
8642)

36. यूनार्डिटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
37. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
38. पंजाब नैशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
39. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
40. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि विभाग, भोपाल.
41. महालेखाकार, अन्य राज्य.....
42. रजिस्ट्रार, म.प्र.औदीगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी.रोड, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

(उमेश पाण्डव)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग